

न्यायालय :-फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

कमांक/101/स्टेनो/2025

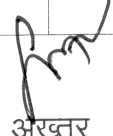
नर्मदापुरम, दिनांक-01.07.2025

॥ विविध-आदेश ॥

मैं, फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 212 एवं 450 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित न्यायालयों से सूची अनुसार प्रकरणों को प्रत्याहरित कर, विधिवत् जांच, विचारण एवं निराकरण हेतु निम्नलिखित न्यायालयों को अंतरित करता हूँ:-

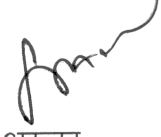
तहसील न्यायालय-इटारसी

कं0	न्यायालय से	न्यायालय को अंतरित	प्रकरणों का प्रकार	प्रकरण कमांक
01	श्रीमती दिव्या मित्तल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	सुश्री के.शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	एम.जे.सी.आर	एम.जे.सी.आर 268/2024 नर्मदा प्रसाद विरुद्ध दुष्यंत वगैरा


फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम म0प्र0

प्रतिलिपि-

- माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम की ओर सादर प्रेषित।
- सुश्री के. शिवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम।
- श्रीमती दिव्या मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम।
- अधिवक्ता संघ नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम म0प्र0